निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/विविध/2012/ 276 दिनांकः 17 दिसम्बर, 2012

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः Illegal use/ display of wild animals in laboratories/ museums of schools/ colleges-reg.

संदर्भः शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3)विभाग, राज0, जयपुर के पत्रांकः प. 10(2)शिक्षा–3/2012 दिनांकः 13.12.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की बिना पूर्व अनुमति के वन्य जीव से संबंधित आर्टीकल्स/ट्रोफीज को अवैध रूप से रखना वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। इसकी पालना नहीं करने पर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

अतः महाविद्यालय में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान की अनुमति के बिना यदि वन्य जीव से संबंधित आर्टीकल्स/ट्रोफीज उपलब्ध है तो अवैध वन्य जीव आर्टीकल्स/ट्रोफीज को अविलम्ब समर्पित करने का श्रम करें। साथ ही भविष्य में भी वन्य जीव से संबंधित आर्टीकल्स/ट्रोफीज को अवैध रूप से महाविद्यालय में नहीं रखें।

संलग्न – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार
एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव
प्रति पालक, जयपुर के पत्र की प्रति

भवदीय,

17/12/12
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/विविध/2012/ 276 दिनांकः 17 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांकः एफ 3(192)तक–1/मुवजीप्र/2009/1480 दिनांकः 16.11.2012 के संदर्भ में।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राज0, जयपुर को उनके पत्रांकः प. 10(2)शिक्षा–3/2012 दिनांकः 13.12.2012
3. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

17/12/12
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ3(192)तक–1/मुवजीप्र/2009/1480 दिनांक 16.11.2012

निमित,

प्रमुख शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
राजस्थान,जयपुर ।

का.प्रशासन/उच्च एवं तक. शिक्षा
क्रमांक 11581
दिनांक 20/11/12

विषयः–Illegal use/display of wild animals in laboratories/museums of schools/colleges-reg.

सन्दर्भः–ऐडीशनल डायरेक्टर, वाईल्ड लाईफ काईम नियंत्रण ब्यूरो, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत,सरकार का पत्र संख्या 12–10/4049 दिनांक 26.9.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ऐडीशनल डायरेक्टर, वाईल्ड लाईफ काईम नियंत्रण ब्यूरो, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा स्कूल, कालेजों में बिना पूर्व अनुमति के वन्य जीव से सम्बन्धित आर्टीकल्स/ट्रोफीज को अवैध रूप से रखना वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है । इसकी पालना नहीं करने पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है ।

अतः आपके नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में स्थित स्कूल, कालेजों में यदि वन्य जीव से सम्बन्धित आर्टीकल्स/ट्रोफीज बिना मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान की अनुमति के उपलब्ध हैं तो सम्बन्धित इन्चार्ज, स्कूल/कालेजों को उनके यहां अवैध वन्य जीव आर्टीकल्स/ट्रोफीज को तुरन्त Surrender करने के लिये पाबन्द करने का कष्ट करें तथा भविष्य में भी वन्य जीव से सम्बन्धित आर्टीकल/ट्रोफीज को अवैध रूप से नहीं रखने हेतु पाबन्द किया जाये ।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
राजस्थान, जयपुर

GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
Wild Life Crime Control Bureau
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
2nd Floor, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066.

No. 12 -10/WCCB/2008 / Vol - VI / 4049   Dated: 26th Sept., 2012

TO

1. Vice Chancellors of all Universities
2. Chairman, CBSE, Delhi
3. CEO cum Secretary, ICSE, Delhi
4. Principal Secretaries, Education of all States/UTs
5. Chief Wildlife Wardens of all States/UTs

Sub: Illegal use/ display of wild animals in laboratories/ museums of schools/ colleges - reg.

Sir

Wild Life Crime Control Bureau (WCCB) is a statutory body constituted under the Wild Life Protection Act, 1972; for combating wildlife crime in the country. There are complaints of some schools/colleges illegally using/ possessing wild animals in their laboratories/ museums.

2. In this regard, it is mentioned that acquisition or possession of wild animal (any animal specified in Schedules I to IV of the Act) without the previous permission in writing of the Chief Wildlife Warden of the State or the officer authorized; is an offence agaist the Act. Capturing or injuring or killing of a wild animal is hunting and prohibited under law. Contravention of these provisions carries punishment upto 7 years of imprisonment or fine or both. For any violation, the Head of the school/college concerned shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

3. It is therefore requested that this may be brought to the notice of Heads of all schools/colleges under your control and directed to surrender any illegal wild animal (including specimens) in their possession to the Chief Wildlife Warden of the State concerned. They may also be advised against acquisition of wild animal or wild animal specimen in future.

Yours Sincerely

(Shyam Bhagat Negi)
Additional Director

Copy for information to:

1. PPS to the Secretary (E&F)
2. PPS to the ADG (WL), MoEF

PHONE : 011 - 26182484-85 (Off.)   FAX : 011 - 26160751